तुलसी महाविद्यालयात प्रजासत्ताक दिन

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

दैनिक भारत कि

तामीर

संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

बीड (महाराष्ट्र) वर्ष-१ ला अंक-१७९ वा गुरूवार ३० जनवरी २०२५ RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 किमत : २ रुपये पन्ने - ४

दादा का डंका।

फिरौती मांगी या रिवॉल्वर रखकर घूमोगे, तो मकोका लगाऊंगा-अजित पवार

बीड़: (संवाददाता)विकास कार्यों में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी ने फिरौती मांगी, तो सीधा मकोका लगाया जाएगा। मैंने इस संबंध में संबंधित विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अगर पिस्टल और बंदूक लेकर घूमोगे और रील्स बनाओगे, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह चेतावनी राज्य के उपमुख्यमंत्री और बीड़ के पालकमंत्री अजित पवार ने दी।

बीड़ में बैठक के लिए पहुंचे अजित पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संवाद किया। इस मौके पर मंत्री धनंजय मुंडे, विजयसिंह पंडित, अमरसिंह पंडित, योगेश क्षीरसागर, जिला अध्यक्ष राजेश्वर चव्हाण भी उपस्थित थे।

बीड़ के विकास कार्यों में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी

अजित पवार ने कहा कि मैं पहली बार पालकमंत्री के रूप में बीड़ आया हूं। इससे पहले पार्टी कार्यालय का दौरा किया। पार्टी के पदाधिकारियों ने कार्यालय आने का अनुरोध किया था, इसलिए मैं यहां आया हूं। आज बीड़ में बैठक के बाद पुणे में भी बैठक रखी गई है।

उन्होंने आगे कहा कि पिछले विधानसभा चुनावों में बीड़ शहर की सीट जीतना जरूरी था, लेकिन हम हार गए और डॉ. योगेश क्षीरसागर पराजित हुए। हालांकि, बाकी पांच सीटों पर महायुति के उम्मीदवार जीते। मैं उनकी जीत पर दिल से बधाई देता हूं। शहर में हमें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब नई ऊर्जा के साथ काम शुरू करना होगा।

अजित पवार ने बीड़ को लेकर चल रही खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा:

जहां सच्चाई होगी, वहां कार्रवाई जरूर होगी, और जहां सच्चाई नहीं होगी, वहां कार्रवाई नहीं की जाएगी।

उन्होंने पार्टी के जिला अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों को साफ शब्दों में कहा कि मेरी काम करने की शैली अलग है। अगर किसी विकास परियोजना में लापरवाही या भ्रष्टाचार हुआ, तो मैं कड़ी कार्रवाई करूंगा। मैं किसी भी तरह की अनियमितता सहन नहीं करूंगा। चाहे वह कोई भी हो - करीबी कार्यकर्ता या अन्य, मैं किसी को नहीं देखूंगा। जनता के पैसे का सही उपयोग होना चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।

अगर किसी ने विकास कार्यों में फिरौती मांगी, तो मैं बिना किसी संकोच के मकोका लगा दूंगा। - अजित पवार

उन्होंने आगे कहा कि मैं संबंधित विभाग के अधिकारियों को बुलाकर सख्त निर्देश दूंगा। मैं १९९१ में पहली बार सांसद बना, फिर ८ बार विधायक चुना गया। मैंने हमेशा विकास को प्राथमिकता दी है। मैं न जाति देखता हूं, न रिश्तेदारी, न करीबी-दूर के कार्यकर्ताओं का फर्क करता हूं।

१९ फरवरी को शिवजयंती है, हम सभी शिवनेरी किले पर जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करेंगे। हमें इसी प्रेरणा के साथ आगे बढ़ना है। अफवाहों पर विश्वास न करें।अंत में, अजित पवार ने सख्त लहजे में कहा कि अगर किसी ने बीड़ में गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होकर फिरौती मांगी, तो मैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा और मकोका के तहत केस दर्ज करवाऊंगा।

बीड जिला बैंक को दें ३०० करोड़ का सॉफ्ट लोन

धनंजय मुंडे और पंकजा मुंडे की अजित पवार से मांग

मुंबई, २९ (प्रतिनिधि):

बीड जिला मध्यवर्ती बैंक को कृषि और गैर-कृषि दोनों प्रकार के ऋण देकर किसानों को राहत प्रदान करने के लिए, बीड जिला बैंक को बुलढाणा जिले की तर्ज पर राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से ३०० करोड़ रुपये का सॉफ्ट लोन रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाए। अगर ब्याज में छूट देना संभव नहीं हो तो विशेष मामले के रूप में वित्त विभाग आधा ब्याज भरकर बैंक की मदद करे। यह मांग राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री धनंजय मुंडे ने बीड जिला मध्यवर्ती बैंक के संदर्भ में आयोजित बैठक में राज्य के उपमुख्यमंत्री और बीड जिले के पालकमंत्री अजित पवार से की। इस मांग का पर्यावरण और पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे ने भी समर्थन किया।

उपमुख्यमंत्री, वित्त और योजना मंत्री तथा बीड जिले के पालकमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में नासिक और बीड जिला मध्यवर्ती बैंकों को मदद करने के सिलसिले में बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, धनंजय मुंडे, पंकजा मुंडे, मंत्री नरहरी झिरवळ और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

बीड जिला मध्यवर्ती बैंक ने २०१९ से प्रशासकीय मंडल के माध्यम से अच्छा काम करके दिखाया है। बैंक की वसूली और दर्जे में सुधार कर उसे 'बी' दर्जा प्राप्त हुआ है। अब बैंक के कृषि और गैर-कृषि कर्ज वितरण में बाधा न आए, इसके लिए ३०० करोड़ रुपये का सॉफ्ट लोन दिया जाए, ऐसी एकमत से मांग की गई। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने इस प्रस्ताव को तुरंत मंगवाकर वित्त विभाग, राज्य सहकारी बैंक और नाबार्ड से चर्चा कर जल्द ही सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया।

धनंजय मुंडे ने पंजाबराव देशमुख कृषि सब्सिडी योजना के तहत बीड जिला बैंक के लगभग ३२ करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा दिए जाने की भी मांग की, जिस पर अजित पवार ने कहा कि यह राशि ३१ मार्च से पहले बैंक को उपलब्ध कराई जाएगी।

अजित पवार ने वसूली और दर्जा सुधारने के लिए काम करने वाले जिला बैंक के प्रशासक मंडल की सराहना की और बताया कि बैंक के कार्यों की निगरानी के लिए सहकार विभाग से एक विशेषज्ञ अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।

परली विधानसभा क्षेत्र में ७३ करोड़ के फर्जी बिल उठाए गए-आ.धस

मुंबई, ३० जनवरी (प्रतिनिधि):

भाजपा विधायक सुरेश धस ने आरोप लगाया है कि जब धनंजय मुंडे पालकमंत्री थे, तब करोड़ों रुपये के फर्जी बिल उठाए गए। उन्होंने दावा किया कि परली और अंबाजोगाई विधानसभा क्षेत्र में बिना किसी काम के ७३ करोड़ ७० लाख रुपये निकाले गए। वे आज पत्रकार परिषद में बोल रहे थे।

३० जनवरी को बीड़ के पालकमंत्री और उपमुख्यमंत्री अजित पवार बीड़ के दौरे पर आ रहे हैं। उनकी उपस्थिति में जिला नियोजन समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक से ठीक पहले, सुरेश धस ने धनंजय मुंडे पर करोड़ों रुपये के फर्जी बिल उठाने का आरोप लगाया और कहा कि उनके पास मौजूद दस्तावेज वे अजित पवार को सौंपकर इस मामले की शिकायत करेंगे।

२०२१-२२ के दौरान धनंजय मुंडे पालकमंत्री थे

सुरेश धस ने कहा, अगर मीडिया की मेमोरी स्ट्रॉन्ग है, तो उन्हें याद होगा कि कोई 'कोकणे' नाम का कार्यकारी अभियंता था, जिसने जिलाधिकारी से पिस्तौल की मांग की थी। अब इस मामले की जांच मुख्यमंत्री कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि २०२१-२२ के दौरान धनंजय मुंडे पालकमंत्री थे और उस समय संजय मुंडे को कार्यकारी अभियंता के रूप में दिखाया गया, जबकि वे केवल डिप्टी इंजीनियर थे। उन्हें चार्ज देकर फर्जी बिल पास कराए गए।

२५ जून २०२२ को संजय मुंडे को सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परली का प्रभारी कार्यकारी अभियंता बनाया गया और उन्होंने भी बिल पास कर दिए।

फर्जी बिलों के माध्यम से करोड़ों रुपये उठाए गए

धस ने आगे कहा कि जनवरी २०२३ में, जब धनंजय मुंडे जिले के पालकमंत्री थे, उस समय सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अंबाजोगाई ने रस्ते विशेष दुरुस्ती कार्यक्रम २०२१-२२ के तहत बिना कोई काम किए १५ करोड़ रुपये का भुगतान किया।

१३ दिसंबर २०२१ को ९ कामों के लिए १५ करोड़ रुपये

१८ फरवरी २०२२ को एक काम के लिए १ करोड़ २० लाख रुपये

कार्यकारी अभियंता आर. स्वामी ने रस्ते विशेष दुरुस्ती कार्यक्रम के तहत बिना कोई काम किए इन पैसों को निकाला।

उन्होंने आगे कहा कि परली, पुस और बर्दापुर सड़कों पर बिना कोई काम किए ५ करोड़ रुपये के बिल उठाए गए। जब इसकी जांच की गई, तो पता चला कि डबल बिल पास किए गए थे।

डबल बिलिंग के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं

१७ मार्च २०२२ को संबंधित विभाग और कक्ष अधिकारियों ने जानकारी दी कि इस काम पर डबल बिल उठाए गए हैं, लेकिन फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले की तत्काल जांच और कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसा विधायक सुरेश धस ने कहा।

दादा और ताई बीड़ जिले को विकास के लिए गोद लें

बीड़ की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अजितदादा और पंकजाताई पंचतारांकित एमआईडीसी स्थापित करें-सलीम जहांगीर

बीड़ (प्रतिनिधि) - बीड़ जिले में पिछले कुछ वर्षों में मल्टीस्टेट और क्रेडिट सोसायटियों के कारण भारी आर्थिक संकट पैदा हुआ है। लगभग १०,००० करोड़ रुपए की ठगी मल्टीस्टेट और क्रेडिट सोसायटियों द्वारा की गई है, जिसके कारण जिले की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई है। इसलिए राज्य के उपमुख्यमंत्री एवं वित्त एवं योजना मंत्री तथा बीड़ के पालकमंत्री अजितदादा पवार और पशुसंवर्धन मंत्री पंकजाताई मुंडे को एक साथ आकर बीड़ में पंचतारांकित एमआईडीसी (औद्योगिक क्षेत्र) स्थापित कर जिले की अर्थव्यवस्था को मजबूती देनी चाहिए। यह मांग भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महामंत्री सलीम जहांगीर ने की है।

बीड़ जिले में ज्ञानराधा, जिजाऊ माँसाहेब मल्टीस्टेट, साईराम अर्बन सहित कई मल्टीस्टेट और क्रेडिट सोसायटियों ने लाखों जमाकर्ताओं को धोखा दिया है। १०,००० करोड़ रुपए के इस घोटाले ने जिले की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। जिले में बड़े उद्योग नहीं हैं, व्यापार को बढ़ाने के लिए परिवहन की सुविधा भी नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा

मिले बड़े वित्तीय सहयोग और पंकजाताई मुंडे एवं प्रीतमताई मुंडे के प्रयासों से बीड़ में रेलवे परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है, जिससे रेलवे सेवा शुरू होने के लिए तैयार है।

फिलहाल जिले में कोई बड़ी औद्योगिक बस्ती (औद्योगिक क्षेत्र) नहीं है, जिससे विकास बाधित हो रहा है। लेकिन अब बीड़ जिले के विकास के लिए एक बड़ा अवसर उपलब्ध है। राज्य में महायुति सरकार है और बीड़ का पालकमंत्री पद अजितदादा पवार के पास है, वहीं पंकजाताई मुंडे भी मंत्री पद पर कार्यरत हैं। इसलिए दोनों ही विकासोन्मुख नेता अब बीड़ जिले के समग्र विकास के लिए एक साथ आगे आएं।

यदि अजितदादा और पंकजाताई ठान लें, तो बीड़ जिले की पिछड़ी हुई स्थिति को बदला जा सकता है और विकास की नई नींव रखी जा सकती है। बीड़ जिले में पंचतारांकित एमआईडीसी (औद्योगिक क्षेत्र) स्थापित करने का निर्णय लेकर इस विकास कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। यदि बीड़ में आधुनिक औद्योगिक बस्ती स्थापित होती है, तो जिले के विकास को नई गति मिलेगी और हजारों शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

जिला नियोजन समिति के माध्यम से जिले के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएं। यह मांग भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महामंत्री सलीम जहांगीर ने की है।

आरटीई प्रवेश के लिए २ फरवरी तक समय सीमा बढ़ी; २,२३५ सीटों के लिए ४,००० से अधिक आवेदन - मनोज जाधव

बीड (प्रतिनिधि) - आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए आरटीई प्रवेश प्रक्रिया चलाई जा रही है। इस प्रक्रिया को जिले में अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। जिले में २,२३५ सीटों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि सोमवार, २७ जनवरी थी। अभिभावकों की मांग पर शिक्षा विभाग ने इसे बढ़ाकर २ फरवरी कर दिया है। अब अभिभावक इस तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। शिवसंग्राम युवा नेता एवं आरटीई कार्यकर्ता मनोज जाधव ने अधिक से अधिक आवेदन करने की अपील की है।

समय सीमा बढ़ने से अभिभावकों को राहत मिली है। सोमवार शाम ७ बजे तक ४,२८१ आवेदन प्राप्त हो चुके थे। जिले में आरटीई प्रक्रिया १६ दिसंबर से शुरू हुई थी। पहले चरण में ४ जनवरी तक स्कूलों का पंजीकरण किया गया। इस दौरान जिले की २१४ स्कूलों का पंजीकरण हुआ। इन स्कूलों में २५ प्रतिशत कोटे के तहत २,२३५ सीटें तय की गईं, जिन पर नि:शुल्क प्रवेश दिया जाएगा।

१४ जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए। सोमवार, २७ जनवरी की शाम ७ बजे तक ४,२८१ आवेदन मिले। अब आवेदन २ फरवरी तक किए जा सकते हैं। इस साल पिछले वर्ष की तुलना में अधिक आवेदन होने की संभावना है। साथ ही, यह अंतिम समय सीमा होगी, इसलिए अधिक से अधिक आवेदन करने की अपील मनोज जाधव ने की है।

बीड जिले में आरटीई प्रवेश प्रक्रिया के तहत २१४ स्कूलों ने भाग लिया है। प्रवेश के लिए २,२३५ सीटें उपलब्ध हैं, जबकि अब तक ४,२८१ ऑनलाइन आवेदन दर्ज किए जा चुके हैं।

अंबाजोगाई में ३४ स्कूलों में २८५ सीटों के लिए ७७० आवेदन हुए हैं। आष्टी में १० स्कूलों में ७५ सीटों के लिए ६५ आवेदन, बीड में १७ स्कूलों में २३३ सीटों के लिए १,०२४ आवेदन, धारुर में ७ स्कूलों में ९६ सीटों के लिए १४१ आवेदन, गेवराई में ३५ स्कूलों में ३७० सीटों के लिए ६६१ आवेदन, केज में २१ स्कूलों में १९० सीटों के लिए २५० आवेदन, माजलगांव में २९ स्कूलों में २४५ सीटों के लिए ४९१ आवेदन, परली में २३ स्कूलों में २८१ सीटों के लिए ५४२ आवेदन, पाटोदा में ३ स्कूलों में २५ सीटों के लिए ७० आवेदन, शिरुर में ८ स्कूलों में ६१ सीटों के लिए १२४ आवेदन, बीड शहर में २० स्कूलों में ३१२ सीटों के लिए ५५ आवेदन और वडवणी में ७ स्कूलों में ६२ सीटों के लिए ८८ आवेदन हुए हैं।

इस बार पिछले वर्ष की तुलना में अधिक आवेदन आने की संभावना जताई जा रही है। सभी अभिभावकों को २ फरवरी की अंतिम समय सीमा से पहले आवेदन करने की अपील की गई है।

अहमदनगर शहर नामांतरण जनहित याचिका मामले में उच्च न्यायालय ने सरकार को नोटिस जारी की

अहमदनगर (संवाददाता)

अहमदनगर शहर के नामांतरण प्रस्ताव को अवैध बताते हुए उसे चुनौती देने वाली जनहित याचिका पूर्व कुलगुरु डॉ. सर्जेराव निमसे, डॉ. पुष्कर सोहनी और आर्किटेक्ट अर्शद शेख ने मुंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ में दाखिल की है। यह याचिका लंबित रहने के बावजूद केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके बाद राज्य सरकार ने १ अक्टूबर २०२४ और ४ अक्टूबर २०२४ को कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए दो सरकारी निर्णयों के माध्यम से जिले, उपविभाग और तालुका के नाम बदलने की अनुमति दे दी। इस कारण याचिकाकर्ताओं ने लंबित जनहित याचिका में संशोधन याचिका दायर कर इन दोनों सरकारी निर्णयों को अवैध घोषित कर रद्द करने की मांग की है।

नामांतरण के खिलाफ जनहित याचिका और न्यायालय की कार्यवाही

अहमदनगर नामांतरण के विरोध में जनहित याचिका संख्या ४८/२०२४ दाखिल की गई थी। २९ जनवरी २०२४ को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि महानगरपालिका की आम सभा में नामांतरण प्रस्ताव पारित नहीं किया गया, बल्कि प्रशासक ने इसे राज्य सरकार के आदेश पर एकतरफा रूप से मंजूरी दी।

राज्य और केंद्र सरकार ने १ अक्टूबर २०२४ को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। हालांकि, महाराष्ट्र लोक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम १९६६ की धारा ४(४) के तहत जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगना अनिवार्य था, जिसे सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय, विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से एक सप्ताह पहले, यानी ४ अक्टूबर २०२४ और ८ अक्टूबर २०२४ को अचानक अधिसूचना जारी कर अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया, जो पूरी तरह अवैध है।

नामांतरण की प्रक्रिया के दौरान कानूनी प्रावधानों और केंद्र सरकार की मार्गदर्शक नीतियों का उल्लंघन किया गया, इसलिए यह नामांतरण आदेश रद्द किया जाए।

सरकारी पक्ष का तर्क और न्यायालय का निर्णय

इस पर राज्य सरकार के वरिष्ठ सरकारी वकील ने तर्क दिया कि सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन कर नामांतरण किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले औरंगाबाद नामांतरण मामले में दायर याचिका खारिज की जा चुकी है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, मुंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ के मुख्य प्रशासनिक न्यायाधीश श्री मंगेश एस. पाटील और सह-न्यायाधीश श्री प्रफुल एस. कुंभाळकर की पीठ ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नासिक के विभागीय आयुक्त और अहमदनगर महानगरपालिका को नोटिस जारी कर इस याचिका पर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है।

अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र देशमुख और अधिवक्ता ताहेर अली कादरी ने पैरवी की।

राज्य सरकार को आर्थिक और सामाजिक गिरावट पर श्वेतपत्र जारी करना चाहिए: सांसद सुप्रिया सुले

विशेष प्रतिनिधि

मुंबई:

महाराष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में गिरावट आई है, यह नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है। यह एक गंभीर मुद्दा है, और राज्य सरकार को इस पर श्वेतपत्र जारी कर जनता को स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए। यह मांग राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट की कार्याध्यक्ष सांसद सुप्रिया सुले ने बुधवार को की।

उन्होंने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट की जिम्मेदारी राज्य सरकार के तीनों दलों को लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, मैं पिछले ढाई साल से जो कह रही थी, उसे आज नीति आयोग ने स्वीकार किया है।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य में आय और खर्च के बीच कितना अंतर है? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। वित्तीय घाटा अधिनियम हमारे देश में मौजूद है, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने केंद्र और राज्य सरकारों को दिवालिया होने से बचाने के लिए लागू किया था।

पिछले दो-तीन वर्षों से मैं यह पूछ रही हूं कि केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसे हैं। कोई भी राज्य अनियंत्रित रूप से खर्च नहीं कर सकता और उसे दिवालिया होने से बचाने के लिए वित्तीय अनुशासन जरूरी है।

उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, हम वित्तीय घाटे में तीसरे स्थान से छठे स्थान पर पहुंच गए हैं। ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हमसे आगे निकल गए हैं। अन्य राज्य विकास कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र पीछे क्यों जा रहा है? इस पर विचार होना चाहिए।

सुले ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा, सरकार ने दावोस में महाराष्ट्र के ही लोगों के साथ समझौते किए, यह गर्व की बात है, लेकिन इसके लिए दावोस जाने की क्या जरूरत थी?

गोविंद पानसरे हत्या मामले के ५ आरोपियों को जमानत मंजूर

संथ जांच पर उच्च न्यायालय की कड़ी टिप्पणी

विशेष प्रतिनिधि

मुंबई:

वरिष्ठ विचारक कॉमरेड गोविंद पानसरे की हत्या मामले में मुंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को ५ आरोपियों को जमानत मंजूर कर दी। न्यायमूर्ति ए. एस. किल्लोर की एकलपीठ ने यह कहते हुए आदेश दिया कि इस मामले की जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है और इस केस का जल्द निपटारा होने की संभावना भी नहीं दिख रही है।

जमानत पाने वाले आरोपी सचिन अंदुरे, गणेश मिस्कीन, अमित देगवेकर, भरत कुरणे और वासुदेव सूर्यवंशी हैं। इन सभी को २०१८ से २०१९ के बीच विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

क्या था मामला?

गोविंद पानसरे, जो समाजवादी विचारधारा के नेता थे, १६ फरवरी २०१५ को कोल्हापुर में मॉर्निंग वॉक से लौटते समय अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मार दिए गए थे। वे चार दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझते रहे, लेकिन अंततः उनका निधन हो गया। इस हत्या के बाद पूरे राज्य में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला था।

पहले महाराष्ट्र सीआईडी को इस हत्याकांड की जांच सौंपी गई थी, लेकिन वे हमलावरों तक नहीं पहुंच सके। इसके बाद न्यायालय के मार्गदर्शन में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया गया। बाद में, जब कर्नाटक पुलिस ने वरिष्ठ लेखिका गौरी लंकेश की हत्या के मामले में दक्षिणपंथी संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, तो पानसरे हत्याकांड से जुड़े कुछ सुराग मिले। इसके बाद सचिन अंदुरे सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन मुख्य साजिशकर्ता अब तक पकड़ा नहीं जा सका है।

६-७ साल बाद भी जांच अधूरी, हाईकोर्ट ने दी जमानत

इस मामले में ६-७ साल बीतने के बावजूद जांच पूरी नहीं हुई। आरोपियों के वकीलों ने न्याय में देरी का हवाला देते हुए जमानत की अर्जी दाखिल की थी। चूंकि यह मामला जल्द निपटने की संभावना नहीं है और जांच एजेंसियां अब तक ठोस सबूत नहीं जुटा पाईं, इसलिए उच्च न्यायालय ने आरोपियों को जमानत देने का आदेश दिया।

निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी, ऐसा पानसरे परिवार की ओर से डॉ. मेधा पानसरे ने कहा।

उन्होंने कहा, हम इस फैसले पर अपने वकीलों से चर्चा करेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लेंगे। उन्होंने आगे कहा, मुख्य आरोपी अब भी फरार हैं और जांच एजेंसियां उन्हें पकड़ने में नाकाम रही हैं। यह मामला जिला सत्र न्यायालय में लंबे समय से चल रहा है। छह साल हो चुके हैं। इसे नियमित सुनवाई के जरिए जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com
daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com